अध्याय 15

कानून एवं भारतीय न्यायपालिका

अब तक आप संघीय सरकार के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आपने यह जान लिया है कि संघीय सरकार कानून बनाती है। कानून क्या होते हैं ? और इन कानूनों को बनाना क्यों आवश्यक है ? क्या इन कानूनों की जानकारी हमें भी होनी चाहिए ? हमारे देश में इन कानूनों की व्याख्या कौन करता है ? इन कानूनों के आधार पर न्याय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है ? हम इन सभी बातों का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे।

राम एवं उसके पिताजी बस में सवार होकर शहर के किसी चौराहे से गुजर रहे थे। राम ने देखा कि एक ही मोटर साईकिल पर सवार तीन युवकों को यातायात पुलिस ने रोक रखा है। उसने अपने पिताजी से पूछा, ''पापा! इन लोगों को पुलिस ने क्यों रोक रखा है ?'' उसके पापा ने कहा, ''इन युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तथा एक ही मोटर साईकिल पर दो की जगह तीन लोग सवार हैं, जो कि सीधा–सीधा यातायात कानूनों का उल्लंघन है, इसीलिए यातायात पुलिस इन युवकों से जुर्माना वसूल कर रही है।'' राम ने उत्सुकता से पूछा, ''पापा! यातायात कानून क्या होते हैं ?'' उसके पापा ने बताया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित ऐसे नियम–कायदे जो हमें वाहनों के सड़क पर सही एवं सुरक्षित रूप से चलने की वर्तमान प्रणाली से परिचित कराते हैं, उन्हें यातायात कानून कहा जाता है। इन नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो जीवन को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। सड़क पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण यातायात के नियमों का पालन नहीं करना ही होता है। सड़क दुर्घटना में शराब का सेवन एक महत्वपूर्ण कारक है जो वाहनों की भिड़न्त एवं गंभीर चोट का खतरा बढ़ाती है जिससे मृत्यु तक हो सकती है। शराब कार्य करने की निष्पादन क्षमता को घटाती है और शारीरिक गतिशीलता एवं दिमाग द्वारा नियन्त्रण की क्षमता को प्रभावित करती है। यह गति एवं दूरी को समझने की क्षमता को भी बाधित करती है। शराब का प्रभाव गुस्से को बढ़ाता है, अतः

यातायात नियम को तोड़ने पर पुलिस द्वारा चालान

वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग

झगड़े की सम्भावना भी बढ़ जाती है। शराब पीकर वाहन चलाना एक दण्डनीय अपराध है।

राम की उत्सुकता को देखकर उसके पिताजी ने आगे उसे और जानकारी दी कि वाहन चलाने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। बच्चों को इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। वाहन चलाने के लिए वाहन–चालन का प्रशिक्षण भली–भाँति प्राप्त कर लेना चाहिए और यातायात के नियमों की जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

राम ने फिर प्रश्न पूछा, 'क्या मैं 18 वर्ष का हो जाऊँगा तब वाहन चला सकता हूँ ?' उसके पिताजी ने बताया कि सिर्फ 18 वर्ष की आयु हो जाने से ही वाहन चलाने के लिए हम योग्य नहीं हो जाते हैं, हमें वाहन चलाने के लिए 'ड्राइविंग लाइसेन्स' प्राप्त करना पड़ता है जो चालक की वाहन चलाने की योग्यता की पूरी जाँच करके फिर जारी किया जाता है। यह ड्राइविंग लाइसेन्स हमें वाहन चलाते समय हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अन्यथा जुर्माना हो सकता है। यदि कोई अवयस्क वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 300/–रुपये जुर्माना एवं वाहन मालिक पर 1000/– का जुर्माना हो सकता है। अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 या 337 के तहत मुकदमा दर्ज होता है तथा उसे बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है।

सीट बेल्ट का प्रयोग

कार, जीप इत्यादि मोटर वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट और दुपहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए तभी हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (3) सी.एम.वी.आर. 177 के तहत वाहन चालक से 100/–रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है।

इस तरह राम के पिताजी ने राम को यातायात नियमों और कानूनों की जानकारी देकर यातायात कानून के बारे में उसकी समझ बनाने का प्रयास किया।

गतिविधि :

1. ऐसी पाँच परिस्थितियाँ के अनुभव को अपने कक्षा के बच्चों से साझा करें जब आपने वाहन चालकों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा हो।
2. अपने शिक्षक से ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कीजिए।

कानून

बच्चो ! आपने यातायात कानून के बारे में समझा। इसी तरह विभिन्न बातों को लेकर अनेक अन्य कानून बनाये गये हैं। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम एवं कानून जरूरी होते हैं। कानून

क्या होता है ? कानून का मतलब सरकार द्वारा निर्मित ऐसे बाध्यकारी नियमों से है, जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्यों को संचालित करते हैं। प्रायः कानून हमारे जीवन को सहज एवं सरल बनाते हैं। कानून का उल्लंघन करने पर दण्ड मिलता है। कानून के उल्लंघन से बचने के लिए हमें कानून की जानकारी होना जरूरी है। हमें कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून हमारी भलाई के लिए होते हैं।

आप सोचिए कि हम कानून का पालन नहीं करें तो क्या होगा ? यदि –

1. हम भी यातायात नियमों का उल्लंघन करें ।
2. कोई व्यापारी पूरे पैसे लेकर भी कम सामान देवे।
3. बिना टिकट के रेल या बस में यात्रा करें।
4. कोई चिकित्सक अस्पताल में लिंग परीक्षण करके कन्या भ्रूण हत्या करे या करने में सहयोग करे।
5. कोई भी परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोशिश करे।

उपर्युक्त उदाहरणों के अनुसार ऐसे गलत कार्यों पर यदि कोई नियंत्रण नहीं हो तो इन सभी बातों से हमारा जीवन जीना कठिन हो जाएगा। लेकिन कानून ऐसा होने से रोकता है। अतः नियत्रंण कानून का आधार है। कानून की भावना केवल नकारात्मक ही नहीं होती वरन् सकारात्मक भी होती है क्योंकि नियंत्रण के साथ–साथ कानून हमें अधिकार और सुविधाएँ भी प्रदान करता है। कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। हमारा कानून धर्म, जाति या लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो यदि वह कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है।

कानून का पालन करना इसलिए आवश्यक नहीं है कि ये सरकार ने बनाये हैं। यदि इस आधार पर कानूनों को माना जाये कि इन्हें सरकार ने बनाया है तो इसका स्वरूप कभी–कभी दमनात्मक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति अधिनायकवाद को जन्म दे सकती है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ कानून बनाते समय न्याय की अवधारणा को महत्त्व दिया जाना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र का विकास होगा और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये कई कानूनों का हमारे द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि वे कानून समानता और न्याय का उल्लंघन कर रहे थे।

गतिविधि :

अपने शिक्षक की सहायता से उन कानूनों पर चर्चा कीजिए, जिनका स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जनता द्वारा विरोध किया गया था।

कानून के प्रकार

1. वर्तमान समय में भी कुछ कानून परम्पराओं, रीति–रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ये 'सामाजिक कानून' कहलाते हैं।
2. आधुनिक राज्यों में कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है, जैसे– हमारी संसद, इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट या अमेरिका की काँग्रेस द्वारा कानून बनाना। इस प्रकार के कानून 'राष्ट्रीय कानून' होते हैं। राष्ट्रीय कानून उस देश के नागरिकों और संस्थाओं पर लागू होते हैं।

3. कानून राष्ट्रीय ही नहीं वरन् अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। 'अंतर्राष्ट्रीय कानून' संप्रभु राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों को संचालित करते हैं।

कानून के स्रोत

1. राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है, इसी कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए सरकार स्वयं आगे बढ़ कर कानून बनाती है। जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो उसके लिए दण्ड की प्रक्रिया निर्धारण के लिए भारतीय दंड संहिता को बनाया गया।
2. कई बार समाज के विभिन्न वर्गों एवं जन संगठनों से किसी खास कानून को बनाने के लिए माँग उठाई जाती है। इन माँगों के प्रति संवेदनशील रहते हुए सरकार कानून बनाती है। इसी आधार पर सरकार ने महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए घरेलु हिंसा विरोधी कानून बनाया। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के गाँव देव डूंगरी में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से सम्बन्धित सरकारी रिकॉर्ड, जैसे– हाजरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियाँ माँगने के लिए संघर्ष किया। धीरे–धीरे उनका यह संघर्ष आंदोलन के रूप में परिवर्तित होकर राष्ट्रव्यापी हो गया। सरकार ने अन्त में जनता की इस भावना को स्वीकार कर एक क्रांतिकारी एवं महत्त्वपूर्ण कानून 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' बनाया, जो कि सरकारी स्तर पर जन–भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ है।
3. कभी–कभी देश में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें कानून बनाना जरूरी हो जाता है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने तुरन्त कानून बनाया था।

हमारी न्यायपालिका

राज्य की सत्ता कानूनों को वैधानिक आधार प्रदान करती है, परन्तु न्याय की अवधारणा प्रत्येक कानून को सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण करती है। हमारे देश में कानूनों की व्याख्या एवं संविधान के अनुसार न्यायप्रदान करने के लिए स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। पूर्व में हमने जाना कि सरकार के तीन अंग होते हैं– 1. व्यवस्थापिका 2. कार्यपालिका एवं 3. न्यायपालिका।

हम जानते हैं कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। वैसे तो केन्द्र और राज्य सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित अपने–अपने कार्य क्षेत्र में काम करती है, लेकिन फिर भी इनमें किसी भी विषय पर आपस में मतभेद हो सकता है। संविधान के अनुसार उन मतभेदों को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय अन्य कार्यों के अलावा कानून तथा संविधान की व्याख्या करता है।

आइये! अब हम हमारी न्यायपालिका पर विस्तार से विचार करें–

भारत में न्यायपालिका की संरचना

हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर स्थानीय एवं जिला अदालतें होती है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय या कुछ राज्यों में संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है।

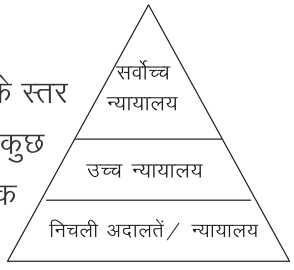

गतिविधि–
शिक्षक की सहायता से जानकारी करो कि किन–किन राज्यों में संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हैं ?

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय है। हमारे संविधान का रक्षक है। उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यह देश के समस्त न्यायालयों से ऊपर है, इसलिए यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है।

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नांकित योग्यताएँ होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालात कर चुका हो अथवा
- राष्ट्रपति की राय में वह प्रसिद्ध कानूनविज्ञ हो।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। स्वयं के त्यागपत्र से या महाभियोग द्वारा इन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है –

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार–** (i) नागरिकों के मूल अधिकार सम्बन्धी विवाद (ii) केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा (iii) राज्य सरकारों के मध्य के विवादों की सुनवाई प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार–** उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ऐसे तीन प्रकार के मामले हो सकते हैं–
   - **क. संवैधानिक मामले**– ऐसे विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या सम्बन्धी कोई प्रश्न विचारणीय हो।
   - **ख. दीवानी मामले**– जमीन जायदाद, चीजों की खरीददारी, विवाह, तलाक, किराया, संविदा आदि से सम्बन्धित मामले।
   - **ग. फौजदारी मामले**– ऐसे विवाद जो चोरी, अपराध, हत्या, डकैती, मारपीट आदि से सम्बन्धित हो।

3. **संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक–** (i) सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है इसे 'न्यायिक पुनरावलोकन' भी कहते हैं। (ii) नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करता है। (iii) सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय भी है। इसके सभी निर्णय प्रकाशित किये जाते हैं। इन निर्णयों का प्रयोग आगे आने वाले मुकदमों में कानून की तरह किया जाता है।

उच्च न्यायालय

राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। इसकी एक पीठ (बेंच) जयपुर में स्थित है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्बन्धित राज्यपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह भारत के किसी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक वकालात की हो।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार–

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार–** ऐसे मामले जो सीधे ही उच्च न्यायालयों में प्रारम्भ किये जा सकते है, जैसे– मौलिक अधिकार सम्बन्धी याचिकाएँ / मामले।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार–** उच्च न्यायालय में राज्य के अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
3. **पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार–** उच्च न्यायालय को राज्य के समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करने, सूचना प्राप्त करने, उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्यवाहियों के संचालन सम्बन्धी सामान्य नियम बनाने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों की कानूनी व्याख्या करने के लिए उन्हें अपने पास मँगवाने का भी अधिकार है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

हमारे संविधान ने न्यायपालिका को बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। न्याय करने का कार्य बिना

किसी दबाव एवं हस्तक्षेप से तभी हो सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे। हमारे संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए इसे व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से अलग रखा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें आदि में व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। न्यायपालिका को वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्यायाधीशों के कार्य, आचरण और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचना से मुक्त रखा गया है। इन सभी प्रावधानों से न्यायापालिका की स्वतंत्रता बनाये रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

गतिविधि–

विद्यार्थी अपने शिक्षक की सहायता से दीवानी व फौजदारी कानून से जुड़े हुए मुकदमों के उदाहरणों की सूची तैयार करें।

न्याय तक सबकी पहुँच हो और न्याय शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता हो इसके लिए हमारे देश में कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

लोक अदालत

प्राचीन समय से ही जिस तरह गाँव के लोग अपने विवादों का निपटारा आपसी समझाइश और राजीनामा से करते हैं, उसी तरह का कार्य वर्तमान में लोक अदालत करती है। इससे लोगों में आपसी सद्भाव बनाये रखने में मदद मिलती है। यह आपसी समझौते के द्वारा विवादों का निपटारा कर लोगों के धन और समय का अपव्यय रोकती है। लोक अदालत के फैसले सभी पक्षों को अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। ऐसे फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है। हमारे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थाई रूप से लोक अदालतें काम करती है। यह नियमित अदालतों से अलग है।

लोक अदालत का दृश्य

त्वरित न्यायालय (फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट)

न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के कारण कई वर्षों तक मुकदमों का निर्णय नहीं हो पाता है। न्याय में देरी का अर्थ है, न्याय न मिलना। गम्भीर किस्म के कुछ विशेष प्रकरणों में लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों में मुकदमों की दिन–प्रतिदिन सुनवाई कर त्वरित निर्णय किए जाते हैं।

जनहित याचिका

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कई बार लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे सरकार या लोगों द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता रहता है और वे जानकारी के अभाव में उनके उल्लंघन के विरुद्ध अदालत में भी नहीं जाते। ऐसे लोग जो किसी प्रतिकूल परिस्थिति जैसे–अशिक्षा, अज्ञानता या गरीबी के कारण न्याय

प्राप्ति के लिए स्वयं न्यायालय में नहीं जा सकते, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया जाता है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। किसी भी सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दे पर न्यायालय स्वयं भी प्रसंज्ञान ले सकता है। जनहित याचिका के माध्यम से वंचित व्यक्तियों और समूहों को न्याय सुलभ हुआ है। ऐसी ही एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2001 को सभी राज्य सरकारों को राजकीय और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को छः माह के भीतर पके हुए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के आदेश प्रदान किये। न्यायालय के इस आदेश की क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। राजस्थान में राजकीय और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जनहित याचिका से कार्यपालिका की जवाबदेही और व्यवस्थापिका की सजगता में वृद्धि हुई है।

विधिक सहायता सेवा

समाज के कमजोर वर्गों को सरकार की ओर से विधिक सहायता सेवा का प्रावधान किया गया है। इस सेवा के अन्तर्गत मुकदमें की पैरवी करने हेतु सरकार द्वारा वकील की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 125000/–रुपये तक हों, या वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों, तो उन्हें यह सेवा प्रदान की जाती है। महिला, बालक, निराश्रित, बंदी एवं आपदाग्रस्त व्यक्तियों को भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

विधिक साक्षरता

कानूनों की जानकारी के अभाव में किसी कानून का उल्लंघन हो जाने की स्थिति, उस उल्लंघन के अपराध के दण्ड से विमुक्ति का आधार नहीं हो सकता है। अतः हमें कानूनों से परिचित होना आवश्यक है। विधिक साक्षरता के तहत नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने व अन्य आवश्यक कानूनों की सामान्य जानकारी दी जाती है। कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, वकील व कानून विशेषज्ञ समय–समय पर विधिक साक्षरता शिविर, मेले, जनसभाएँ इत्यादि के द्वारा लोगों को कानूनों की जानकारी देते रहते हैं। विद्यालयों में भी विद्यार्थियों से सम्बन्धित कानूनी अधिकार एवं जानकारियों के बारे में बताया जाता है। विधिक साक्षरता से समाज में भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और अपराधों में भी कमी आती है। इनसे नागरिकों में उत्तरदायित्व का बोध विकसित होता है और वे सजगता से व्यवहार करते हैं।

राजस्थान में ग्राम न्यायालय

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु 'ग्राम न्यायालय एक्ट, 2008' के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया।

इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

इस अध्याय में हमने कानूनों की जानकारी एवं न्याय के महत्त्व को समझा और साथ ही साथ हमारे देश की न्यायपालिका के संगठन और उसके कार्यों को जाना। हम वंचित लोगों को न्याय उपलब्ध कराने के नवीन प्रयासों से भी परिचित हुए।

शब्दावली

मुकदमा	–	न्यायालय के विचाराधीन विवाद का मामला
अपील	–	निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध पुनः विचार के लिए किसी पक्ष का ऊपरी अदालत में जाना
याचिका	–	अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना।
वकील	–	कानून के सिद्धान्तों और कानूनों के आधार पर अदालत में किसी मुकदमें में पैरवी करने वाला कानून का विद्वान।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनते हुए कोष्ठक में अंकित कीजिए –

   (i) निम्नांकित में से कौनसा मामला फौजदारी कानून से संबंधित है :

   (अ) डकैती (ब) सम्पत्ति का बँटवारा

   (स) किराया (द) विवाह पंजीकरण ( )

   (ii) विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य है, जनता को :

   (अ) कानूनी जानकारी देना (ब) अक्षर ज्ञान देना

   (स) प्रौढ़ शिक्षा देना (द) वकील बनाना ( )

2. निचली अदालत के फैसले के विरूद्ध जब कोई पक्ष ऊपरी अदालत में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ?
3. राजस्थान उच्च न्यायालय तथा इसकी पीठ कहाँ स्थित है ?
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ लिखिए।
5. लोक अदालत से क्या अभिप्राय है ?
6. जनहित याचिका किसे कहते हैं ?
7. न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं ?
8. सरकार किन–किन बातों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करती है ?
9. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
10. यातायात कानूनों का उद्देश्य क्या है ?
11. हमारे देश के वर्तमान यातायात नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
12. शराब के दुष्प्रभाव लिखिए।
13. ''यदि मैं एक यातायात पुलिस का सिपाही होता''– इस विषय पर अपनी नोटबुक में एक पृष्ठ लिखिए।